न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती करूणा लाड़ोती (आर०ए०एस०)

दर्ज दिनांक 10.01.2023

राजस्व प्रकरण संख्या :– 6/2023

जीसीएम प्रकरण संख्या :– 2023/23

अन्तर्गत धारा :– 53 आर.टी.एक्ट

अनवान

1–प्रेमदेवी पत्नि गोपीलाल आर्चाय निवासी कोट, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–केशा पिता हजारी बागरिया निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2–गुलाबी पत्नि बीरम हजारी बागरिया निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3–मोवनी पत्नि हजारी बागरिया निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

4–राधा पत्नि मांगु बागरिया निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

5–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. महेन्द्रसिंह – वादी अधिवक्ता
2. पूनमनाथ – प्रतिवादी संख्या 1 अधिवक्ता
3. प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 एकपक्षीय

:: अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::

(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत)

:: निर्णय ::

दिनांक:– 26-11-2025

1. संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई के इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 24.02.2025 के द्वारा वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया हैं कि राजस्व ग्राम कोट पटवार हल्का कोट तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1870 रकवा 0.12 है0, आराजी संख्या 1871 रकबा 0.93 है0, आराजी संख्या 1872 रकवा 0.03 है0, आराजी संख्या 1873 रकवा 0.47 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.55 है0 भूमि में वादी का 1/7 वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 4/21 वां हिस्से का मौके पर कब्जे व हिस्से को ध्यान में रखते हुए जरिये मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)रायपुर

प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

2. तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांक/भू.अ./2025/1396 दिनांक 03.11.2025 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया।

3. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित उक्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की तथा मौका कब्जा संबंधी किसी प्रकार का एतराज जाहिर नहीं किया, अतः प्रारम्भिक डिक्री की पालना स्वरूप उक्तानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

4. अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	प्रेमदेवी पत्नि गोपालाल आचार्य सा.देह खातेदार	ग्राम कोट (खाता संख्या 80)	1870 1871/3	0.12 0.10
		योग	2	**0.22**
2	केशा पुत्र हजारी बागरिया सा.देह	ग्राम कोट (खाता संख्या 80)	1871/2	0.29
		योग	1	**0.29**
3	1. गुलाबी पत्नि बीरम 1/6 बागरिया, 2. मोवनी पत्नि हजारी 1/2 बागरिया, 3. राधा पत्नि मांगू 1/3 बागरिया सा.देह	ग्राम कोट (खाता संख्या 80)	1871/1 1872 1873	0.54 0.03 0.47
		योग	3	**1.04**

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना–अपना वहन करे।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

निर्णय आज दिनांक 26/11/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्रीमती करूणा लाड़ोती (आर0ए0एस0)

दर्ज दिनांक 10.01.2023

राजस्व प्रकरण संख्या :–6/2023

जीसीएम प्रकरण संख्या :– 2023/23

अन्तर्गत धारा :– 53 आर.टी.एक्ट

अनवान

1–प्रमदेवी पत्नि गोपीलाल आर्चाय निवासी कोट, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–केशा पिता हजारी बागरिया निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2–गुलाबी पत्नि बीरम हजारी बागरिया निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3–मोवनी पत्नि हजारी बागरिया निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

4–राधा पत्नि मांगु बागरिया निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

5–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. महेन्द्रसिंह – वादी अधिवक्ता
2. पूनमनाथ – प्रतिवादी संख्या 1 अधिवक्ता
3. प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 एकपक्षीय

निर्णय दिनांक : 26/11/2025

डिक्री दिनांक :

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय रायपुर वहाजरी अधिवक्ता वादी **श्री महेन्द्र सिंह चुण्डावत, पूनम नाथ** व **पैरोकार सरकार** हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	प्रेमदेवी पत्नि गोपालाल आचार्य सा.देह खातेदार	ग्राम कोट (खाता संख्या 80)	1870 1871/3	0.12 0.10
		योग	2	0.22

कलक्टर

रायपुर

2	केशा पुत्र हजारी बागरिया, सा.देह	ग्राम कोट (खाता संख्या 80)	1871/2	0.29
		योग	1	**0.29**
3	4. गुलाबी पत्नि बीरम 1/6 बागरिया, 5. मोवनी पत्नि हजारी 1/2 बागरिया, 6. राधा पत्नि मांगू 1/3 बागरिया सा.देह	ग्राम कोट (खाता संख्या 80)	1871/1 1872 1873	0.54 0.03 0.47
		योग	3	1.04

नीज ....Nil................................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ...... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26/11/2025 को जारी किया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
स्टाम्प वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महनताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–		मुनफरिक	–	
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)